कार्यालय कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
CIN No. U40109MP2001SGC014882
ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर – 482008
फोन नं. : 0761-2702615 ई मेल : mppgcl@mp.nic.in
फैक्स नं.: 0761-2665805 वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in

क्र: का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/उ.म.प्र./प्रतिनियुक्ति/ 2377 जबलपुर, दिनांक 29 JUN 2017

म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3632/2017/तेरह दिनांक 06.06.2017 अनुसार राज्य शासन द्वारा विद्युत कंपनियों के लिए एक समान प्रतिनियुक्ति नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति नीति-2017 तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है ।

प्रतिनियुक्ति नीति-2017

(अ) सामान्य नियम -

1. विद्युत कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए नियमित कार्मिकों की अन्य विद्युत कंपनियों, अन्य विभागों एवं उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी मूलभूत नियम के प्रावधान लागू होंगे ।
2. विद्युत कंपनियों द्वारा नियुक्त किए गए संविदा कार्मिकों को अन्य कंपनी या शासकीय विभाग/उपक्रम में प्रतिनियुक्ति नहीं दी जाएगी ।
3. म.प्र.राज्य विद्युत मंडल से विद्युत कंपनियों में अंतरित कार्मिकों की अन्य विभागों एवं उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति मध्यप्रदेश शासन में लागू मूलभूत नियम तथा राज्य शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2012 की कंडिका-4 के प्रावधानों के अनुसार होगी ।
4. न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत ही प्रतिनियुक्ति पर सेवा दी जा सकेगी।
5. प्रदेश की सभी 6 विद्युत कंपनियों में पैतृक कंपनी से अन्य कंपनी में परस्पर प्रतिनियुक्ति की स्थिति में कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा ।
6. प्रतिनियुक्ति अवधि प्रारंभ में अधिकतम 03 वर्ष के लिए होगी तथा दोनों विद्युत कंपनियों की सहमति के आधार पर ही प्रतिनियुक्ति की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
7. कार्मिक के आवेदन पर प्रतिनियुक्ति किये जाने पर सर्विस टैक्स का भुगतान, अगर देय हो तो, आवेदक द्वारा देय होगा । अन्य स्थिति में जिस कम्पनी/विभाग/उपक्रम द्वारा कार्मिक को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है, सर्विस टैक्स के दायित्व का वहन उसके द्वारा किया जाएगा ।
8. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिक के वेतन, भत्ते आदि का भुगतान प्रतिनियुक्ति पर लेने वाली कंपनी/विभाग/उपक्रम द्वारा किया जायेगा ।
9. छः विद्युत कंपनियों के मध्य प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों का पेंशन/अवकाश अंशदान पैतृक कंपनी द्वारा ही वहन किया जायेगा ।
10. प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान दोनों कंपनियों के आपसी परामर्श से प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी । परन्तु कार्मिक का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर सेवा लेने वाली कंपनी कारणों का उल्लेख करते हुए समय पूर्व सेवाएं वापस कर सकेगी । इसके लिए पैतृक कंपनी की सहमति आवश्यक नहीं होगी ।
11. ऐसे कार्मिक जिनके विरूद्ध विभागीय जॉच प्रचलित हो, को प्रतिनियुक्ति पर सेवा देने की पात्रता नहीं होगी ।
12. स्वयं के आवेदन पर प्रतिनियुक्त किए कार्मिक को यात्रा भत्ता व पदग्रहण काल आदि की पात्रता नहीं होगी ।

(ब) प्रक्रिया -

1. पैतृक कंपनी तथा प्रतिनियुक्ति पर लेने वाली कंपनी की सहमति होने के उपरांत पैतृक कंपनी द्वारा प्रस्ताव ऊर्जा विभाग को प्रेषित किया जाएगा । शासन आदेश उपरांत पैतृक कंपनी द्वारा आदेश जारी किया जाएगा । कंपनी कैडर के कार्मिकों के लिए सहायक यंत्री (या उसके समकक्ष) एवं उससे उच्च स्तर के तकनीकी, वित्तीय एवं अन्य संकाय के अधिकारियों के प्रकरणों पर राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी । अन्य प्रकरणों में विद्युत कंपनियाँ आपसी सहमति के आधार पर प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही उक्त प्रावधानों के अंतर्गत कर सकेगी ।
2. विद्युत कंपनियों से अन्य विभागों/उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति के सभी प्रकरणों में पैतृक कंपनी को राज्य शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

उक्त नीति कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित है ।

आदेशानुसार

(डी.एन.राम),
कार्य.निदे. (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

क्रमशः..2..

पृ.क्र. का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/उ.म.प्र./प्रतिनियुक्ति/ 2378 जबलपुर, दिनांक 29 JUN 2017

प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.-उत्पा.)/ (ईंधन प्रबंधन)/ (अभियांत्रिकी)/ (सिविल अभियांत्रिकी)/ (नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(संचा.संधा.-जल विद्युत)/(सामग्री प्रबंधन)/ (सी.एस.)/(परियोजना उत्पा.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर।
3. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना/ अताविगृह/ सताविगृह/संगांताविगृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. खण्डवा/चचाई/सारनी/बिरसिंहपुर ।
4. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
5. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्र.), म.प्र.पॉ.मैनेजमेंट कं.लि. जबलपुर ।
6. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्र.), म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर ।
7. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्र.), म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. भोपाल ।
8. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्र.), म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. इंदौर ।
9. मुख्य महाप्रबंधक (कार्पोरेट अफेयर्स), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि. जबलपुर ।
10. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार) /(टीएचसी) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर/सिरमौर।
11. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर ।
12. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स.ता.वि.गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. सारनी ।
13. कार्यपालक सहायक संबद्ध अध्यक्ष, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. भोपाल।
14. संयुक्त सचिव-एक, कार्या.कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.जबलपुर ।
15. अधीक्षण अभियंता (संचा.संधा.), पेंच/राजघाट/गांधीसागर/रानी अवंतीबाई सागर/ बाणसागर-दो/ तीन/चार / मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. तोतलाडोह/चंदेरी/गांधीसागर/बरगीनगर/ शिवपुरी/सिलपरा/देवलोंद/झिन्ना, ।
16. अधीक्षण अभियंता (सिविल)- सर्वे.अन्वे., म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर।
17. समस्त उप सचिव /कार्यपालन अभियंता/उप महाप्रबंधक/सहायक अभियंता (आई.टी.), कार्या.कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.जबलपुर ।
18. वरिष्ठ, कल्याण अधिकारी/विधि अधिकारी, कार्या.कार्यपालक निदेशक (मा.सं.एवं प्रशा.), म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर ।
19. वरिष्ठ लेखाधिकारी (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.)/ श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि./अताविगृह/सताविगृह/ संगांताविगृह/टीएचसी म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर/खण्डवा/चचाई/सारनी/ बिरसिंहपुर/सिरमौर ।
20. स्टाफ आफिसर/निज सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पा.जन. कं.लि. जबलपुर।
21. आदेश नस्ती ।

- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(पी.के.श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव-दो
कार्या.कार्य. निदे. (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

RNG\Mis\Order